


केसर देवी बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 56/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/486

— : आदेश : —

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है।
मौजा मौजा ईगयार के खाता संख्या 35 में प्रार्थीया का नाम केसर देवी पत्नी स्व० कानाराम के
स्थान पर केसर देवी पत्नी हरीराम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार
जायस को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।
आदेश आज दिनांक ...19.06.2024... को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(अभिलाषा)
सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)
(उज्जैन नगरपालिका)

/2023
बर व तारिख
काम जो इ
की तामील
हुये।